चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 27.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 27.12.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/ब्रिकी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 08 अभियुक्तों को 140 क्वार्टर देशी शराब व 15 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(1). चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग उ0नि0 श्री रमेश सिंह यादव व उनके हमराही आरक्षी शिवम मिश्रा द्वारा अभियुक्त संजय पुत्र कमलेश रैदास निवासी पत्थरापालदेव थाना नयागांव जनपद सतना को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अभिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(2). उ0नि0 यू0टी0 आकांक्षा थाना पहाड़ी म0का0 गुड़िया व उनके हमराही का0 सचिन कुमार,का0 कमलेश कुमार के द्वारा एक अभियुक्त विशेषर सिंह पुत्र स्व0 तेजबहादुर सिंह निवासी ग्राम तौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 35 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अभिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(3). उ0नि0 श्री जंगबहादुर सिंह थाना पहाड़ी,उ0नि0 यू0टी0 अभिनव प्रताप सिंह व उनके हमराही का0 दीपक सिंह,का0 गुड्डू यादव द्वारा अभियुक्त इस्लाम खाँ पुत्र सदल निवासी ग्राम गढीघाट थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 25 अदद देशी शराब गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अभिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय,उ0नि0 श्री राजेश कुमार राय थाना सरधुवा व उनके हमराही का0 सालिगराम,का0 धर्मेन्द्र कुमार,महेन्द्र कुमार द्वारा अभियुक्त रामऔतार पुत्र फूलचन्द्र निवासी ग्राम औदहा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 16 अदद क्वार्टर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अभिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(5).उ0नि0 श्री अरविन्द्र कुमार सिंह थाना मारकुण्डी व उनके हमराही आरक्षी अतुल सिंह परिहार द्वारा अभियुक्त पंकज पुत्र चन्द्रपाल निवासी मनगवां थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को 20 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मारकुण्डी में धारा 60 आबकारी अभिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(6). उ0नि0 श्री प्रखर प्रताप सिंह थाना मानिकपुर व उनके हमराही आरक्षी अजीजउद्दीन द्वारा अभियुक्त अंकित उर्फ हनुमान पुत्र सुग्रीव को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अभिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(7). उ0नि0 श्री अरविन्द सिंह,उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय थाना भरतकूप व उनके हमराही मुख्य आरक्षी अमर सिंह, महिला आरक्षी प्रीति द्वारा अभियुक्त नंदकिशोर पुत्र चुनवाद निवासी बैहार थाना भरतकूप को 23 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 60 आबकारी अभिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(8). उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह थाना भरतकूप व उनके हमराही आरक्षी एहसान अली द्वारा अभियुक्त शारदा प्रसाद पुत्र छेदी लाल निवासी बैहार थाना भरतकूप को 21 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकुप में धारा 60 आबकारी अभिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में इन्वेस्टर जागरुकता प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें समस्त थाना/चौकी/कार्यालय के नामित पुलिस कर्मियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस प्रोगाम में पुलिस कर्मियों को फाइनेन्सियल लिटरेसी,केपिटल मार्केट,स्टोक मार्केट,मुचुअल फण्ड,सार्थी एप,फाइनेन्सियल फ्रॉड एवं एनएसडीएल आदि के सम्बन्ध में बताया गया।